इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 383] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर 2015—भाद्र 24, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्र. एफ 24-5-2015-एक-10.—यत:, कस्बा पेटलावद, तहसील पेटलावद, जिला झाबुआ में नया बस स्टेण्ड, थांदला रोड पर स्थित भवन में दिनांक 12 सितम्बर 2015 को प्रात: लगभग 8.20 बजे विस्फोट हुआ, जिसमें 84 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा अनेक व्यक्ति घायल हुए.

(2) और यत:, राज्य सरकार की यह राय है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित बिन्दुओं की जांच किए जाने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया जाना आवश्यक है :—

(1) विस्फोट की उक्त घटना किन परिस्थितियों में घटित हुई, और इसके लिए कौन-कौन उत्तरदायी हैं?

(2) क्या प्रश्नाधीन भवन के स्वामी अथवा किरायेदार के पास विस्फोटक संग्रहण या उपयोग करने का लायसेंस था? अगर हां तो वह किस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया तथा क्या उसे जारी करने या नवीनीकृत करने के पूर्व उक्त प्राधिकारी ने पर्याप्त सावधानी बरतकर नियमानुसार उसे जारी किया?

(3) क्या प्रश्नाधीन भवन में विस्फोटक सामग्री का अवैध संग्रहण करने के संबंध में कोई शिकायत की गई थी? यदि हां तो ऐसी शिकायत किस अधिकारी ने प्राप्त की तथा उस पर क्या कार्यवाही हुई?

(4) ऐसे अन्य विषय जो जांच के अधीन मामलों से आनुषंगिक हों?

(5) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए सुझाव.

(3) अतएव, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, श्री आर्येन्द्र कुमार सक्सेना, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग सार्वजनिक महत्व के उपरोक्त विषयों की जांच हेतु नियुक्त करती है.

(4) आयोग का मुख्यालय इन्दौर होगा.

(5) आयोग इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास के भीतर अपनी जांच पूरी करेगा और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.